

15-11-17

वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई उपस्थित
नहीं है। अपी. को बार-बार आवाजें किल्लाई
गई। अपी. की ओर से कोई उपस्थित नहीं
आया। अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी
व अदम धरवी में खारिज की जाती है। यत्रावली
के सल्ल श्रुमार होकर कोद तकमील जावत। काबिल
दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भारतपुर

पुर

रिक्त

3

गर